प्रयागराज से कौशांबी तक बेतहाशा खनन, उजड़ रहा यमुना का पारिस्थितिकी तंत्र

यमुना की धारा में चल रहा अंधाधुंध बालू खनन अब जलीय जीवन के अस्तित्व पर सीधा हमला बन गया है। नदी के भीतर से तेजी से हटती रेत ने मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को तबाह करना शुरू कर दिया है। जो रेत कभी इन जीवों के लिए आश्रय और प्रजनन का सुरक्षित आधार थी, वही अब गहरे गड्ढों और अस्थिर तल में बदलकर उनके जीवन के लिए खतरा बन गई है। प्रयागराज से कौशांबी तक करीब 32 किलोमीटर की पड़ताल में सामने आया है कि नियमों को दरकिनार कर नदी की बीच धारा तक मशीनें उतारी जा रही हैं। इससे न सिर्फ जलधारा का संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि पानी में आक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह भी बाधित हो रहा है, जो जलीय जीवन की मूल आवश्यकता है। मछलियों की घटती संख्या ने मछुआरों की आजीविका पर चोट की है, वहीं कछुओं जैसे संवेदनशील जीवों का अस्तित्व संकट में है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह अराजक दोहन नहीं रुका, तो यमुना का पूरा जैविक तंत्र ढह सकता है। दरअसल, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र रेत, पानी, जलीय जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के संतुलन पर टिका होता है। रेत के अत्यधिक खनन से यह संतुलन टूटता है आवास नष्ट होते हैं, खाद्य श्रृंखला बिखरती है और जैव विविधता पर गहरा प्रहार होता है।

अराजक खनन मूक व्यवस्था

455 हजार से ज्यादा परिवार जुड़ा है नदी की मछली निकालने और इसके कारोबार से

40 से अधिक स्थानों पर गंगा, यमुना, टोंस व बेलन नदियों में हो रहा है अवैध खनन

13 लाख के 116 गांव व शहर के दो दर्जन मोहल्ले का भूगर्भ जलस्तर रेड जोन में

चायल तहसील क्षेत्र के उमरवल यमुना घाट पर अवैध खनन करते पोकलैंड ● जागरण

- व्यापक स्तर पर खनन से नदी के किनारे के इलाकों में रेड जोन में पहुंच गया भूगर्भ जल स्तर
- मछुआरों से लेकर मछली कारोबार तक से जुड़े लोगों के सामने पेट भरने का संकट हुआ खड़ा

विशेषज्ञ की राय

नदी तंत्र में किसी भी प्रकार का खनन विशेषकर बालू खनन जलीय जीवों के जीवन चक्र पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिफरी) के विज्ञानी डीएन झा बताते हैं, नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें मछलियां, कछुए और अन्य जलीय जीव संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। नदियों में पाई जाने वाली मछलियां शाकाहारी और मांसाहारी वर्गों में विभाजित होती हैं, दोनों ही खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हुए जैव विविधता को संरक्षित करती हैं। अधिकांश मछलियां नदी की निचली सतह रेतीले या कंकरीले तल पर अंडे देती हैं। यही क्षेत्र उनके प्रजनन और नवजात के पोषण का प्राकृतिक आधार होता है। खनन की प्रक्रिया में जब भारी मशीनों से नदी की तलहटी को खोदा जाता है, तो यह नाजुक प्रजनन स्थल नष्ट हो जाते हैं। इससे अंडों का नाश, नवजात मछलियों की मृत्यु और प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी जाती है। कछुओं जैसे जीव, जो अंडे देने के लिए सुरक्षित तटों पर निर्भर होते हैं वे भी प्रभावित होते हैं।

32 किमी दूर तक जलीय जीवों पर गहराया संकट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : यमुना में बालू के बेतहाशा अवैध खनन से नदी का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। इससे एक तरफ जहां जलीय जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वहीं मछुआरों, जाल बनाने वाले तथा मछली व्यापारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। यमुना में मछली निकालने से लेकर उसके व्यापार तक में हजारों लोग जुड़े हैं। नियमों को ताक पर रखकर लगातार बालू के अवैध खनन से पर्यावरण को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेष रूप से भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है, जो भविष्य में खतरे की घंटी है।

यमुना से बड़े पैमाने पर अवैध बालू के खनन से सबसे ज्यादा भूगर्भ जलस्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। नदी से अधाधुंध बालू निकालने से किनारे के गांवों का भूगर्भ जलस्तर नीचे खिसकता जा रहा है। यमुनापार के प्रतापपुर, लालापुर, जसरा, चाका व भगवतपुर ब्लाक क्षेत्र के साथ शहर के दो दर्जन मोहल्लों में भूगर्भ जलस्तर रेड जोन में पहुंच गया है। कुल लगभग 116 गांवों में यमुना के दोहन का असर पड़ा है। दिन-रात अवैध खनन के चलते यमुनापार में प्रतापपुर से लेकर शहर के गऊघाट तक जलीय जीव-जंतु बहुतायत में प्रभावित हैं। लाखों घन फीट रोज बालू निकालने और इसमें लगाई गई मशीनरी के चलते इन जलीय जीव-जंतुओं तेजी से समाप्त होने लगे। हिल्सा जैसी महंगी मछलियों की प्रजाति तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। गेगरा और बैकरी-बैकरा भी हिल्सा की राह पर है। टेंगरा मछली भी नहीं दिखाई दे रही है। खनन के चलते ही डाल्फिन भी इस क्षेत्र में नहीं बची। पहले यमुना में कछुआ और घड़ियाल भी खूब दिखाई देते थे लेकिन खनन माफिया ने उन्हें भी कहीं का नहीं छोड़ा।

करेलाबाग डंटक वेल के सामने यमुना में हो रहा अवैध बालू खनन ● जागरण

> गंगा और यमुना समेत अन्य नदियों में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराई गई है। टास्क फोर्स गठित कर छापेमारी कराई जा रही है। कार्रवाई में कई ट्रकों व डंपरों को पकड़ा गया है। किनारे पर भंडारित बालू को नदी में फेंका गया। वहीं, दो पट्टाधारकों का 50 लाख रुपये का चालान काटा गया है।
>
> **-मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, प्रयागराज**

गंगा-यमुना में मछलियों की बदली तसीर : धारा के बीच में बालू खनन के चलते गंगा-यमुना और उससे जुड़े जलक्षेत्रों में मछलियों की प्रजातियों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तेजी से बढ़ने वाली विदेशी और अनुकूलनशील प्रजातियां जैसे तिलापिया और कामन कार्प की संख्या में कमी आई है। पानी में आक्सीजन की कमी और बदलती जल गुणवत्ता जैसी परिस्थितियों में भी यह आसानी से जीवित रहती हैं। इनके कम होने से मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई।

इन स्थानों पर होता है बालू का अवैध खनन

यमुना में मत्रैका, मोहब्बतगंज, बसवार, अमिलिया, पालापुर, बीकर, देवरिया, मोहिनी का पूरा, कंजासा, कैनुआ, बिरवल, जगदीशपुर, भानपुर, बघरा, पघवर, मझियारी, अमिलिया, सेमरी व प्रतापपुर में नदी के अंदर से बालू का अवैध खनन किया जाता है। वहीं गंगा में लवायन, मवैया, मनैया, रवनिका, डीहा, सेमरहा, गढ़ैला, दुमदुमा, घरानीपुर में भारी पैमाने पर अवैध खनन होता है।

मोड़ी यमुना की धारा, दिन-रात मशीनों से खनन

जागरण संवाददाता, कौशांबी: अवैध खनन से न सिर्फ नदियों की धारा बदल जाती हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा रहता है। इसके बाद भी जिले के कई घाटों पर अवैध खनन निर्बाध रूप से हो रहा है। कहीं शिकायत मिली तो जिम्मेदार अधिकारी छापेमारी कर अपना दायित्व पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनके जाते ही फिर से अवैध खनन का खेल चालू हो जाता है। खनन विभाग ने जिले में आठ घाटों पर बालू खनन का पट्टा दिया है। जबकि खनन डेढ़ दर्जन से अधिक स्थानों पर हो रहा है। उमरवल, ब्यूर, छेकवा समेत कई स्थान ऐसे हैं, जहां दिन के अलावा रातों में भी कालिंदी की बीच जलधारा में मशीनों से खनन कराया जाता है। नंदा का पूरा में यमुना में दो धारा होने के कारण मिट्टी और पत्थर के जरिए पुल बनाकर एक धारा को अवरुद्ध कर दिया गया और दूसरी धारा में खनन किया जा रहा है। अवैध खनन अन्य घाटों पर भी ऐसा ही चल रहा है। इन घाटों से लाखों घन फीट बालू का अवैध खनन प्रतिदिन हो रहा है। अधिकारी हैं कि इन अवैध खनन की तरफ से अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। इसका प्रभाव जलीय जीवों मछली, कछुआ के जीवन पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार, मछलियां नदियों के पानी को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन जलीय जीवों के न रहने से उस क्षेत्र का पानी भी दूषित हो जाया करता है। जल जीव संपदा बढ़ाने और पानी की शुद्धता के लिए मत्स्य विभाग द्वारा पिछले वर्ष यमुना नदी के अलग-अलग खंडों में करीब 57 हजार मत्स्य अंगुलिकाएं डाली गई थीं। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी सीपी जायसवाल का कहना है कि मछलियों पर खनन का असर नहीं पड़ता है।

उमरवल घाट पर कराया जा रहा खनन ● जागरण

इन जगहों पर होता है खनन

महेवाघाट, दलेलगंज, धमोसा, कटैया, मल्हीपुर, केवट का पुरवा (नंदा का पुरवा), ऐगवा (महिला) और भवनसुरी घाटों पर खनन का पट्टा दिया गया है। उमरवल, ब्यूर, छेकवा, हिसामबाद, गोपसहसा, पाली उपरहार आदि घाटों पर कहीं अवैध खनन तो कहीं नावों के जरिए बालू का अवैध परिवहन किया जाता है। बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण नदी के किनारे स्थित चायल, मूरतगंज ब्लाक डाकौजोन में शामिल हैं। मंझनपुर ब्लाक के भी डाकौ जोन में इस बार आने के संकेत मिले हैं। यहां ससुर खदेरी नदी में भी खनन होता है। जिले में करीब आठ से 10 हजार मछुआ समाज के लोग मत्स्य पालन पर निर्भर हैं।

> जिले में जहां भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है। वहां कार्रवाई की जाती है। उमरवल में पिछले दिनों खनन इंस्पेक्टर द्वारा रास्ता भी खोदवा दिया गया था। निरंतर कार्रवाई की जाती है। इसकी वजह से राजस्व की वसूली में भी प्रगति है।
>
> **डा. अमित पाल, डीएम, कौशांबी**

आप को भी कुछ कहना है तो हमें लिखें :- reporter@aldjagran.com

कार्रवाई पर उतरे तो एक रात में 119 ट्रकों का किया गया चालान

- ब्लाक प्रमुख जसरा के बेटे के नाम पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था बालू खनन
- बैनिक जागरण के समाचारीय अभियान को लेकर प्रशासन और खनन विभाग हुआ सक्रिय

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: अवैध बालू खनन और परिवहन पर मूक बना प्रशासन कार्रवाई पर उतरा तो एक ही रात में 119 ट्रकों का चालान कर दिया और करीब एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। एक दर्जन ट्रकों व डंपरों को सीज भी किया गया। इनमें ज्यादातर का बीमा समाप्त है तो कई का फिटनेस भी खत्म था। शुक्रवार को दिन में कई स्थानों पर गंगा व यमुना में अवैध बालू का खनन पकड़ा गया। नैनी के देवरख में पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध बालू खनन के मामले में पट्टाधारक जसरा ब्लाक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बेटे विकास सिंह को नोटिस भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां सरित कांस्ट्रक्शन के नाम खनन पट्टा है। एसडीएम करछना व आइएएस अधिकारी भारती मीणा ने देवरख, लवायन, मवैया कछार पर छापेमारी की।

यमुना किनारे चलाए गए अभियान के दौरान एसडीएम बारा ● सुयश मिश्रा

गंगा और यमुना में अवैध रूप से बालू के खनन के खिलाफ कार्रवाई में अब तक लगभग 1.12 करोड़ रुपये का चालान काटा गया है, जिसमें मेला के परानीपुर की पट्टाधारक शकुंतला देवी पत्नी पंजाब सिंह निवासी बिसेनपुर, मेजा तथा रमेश तिल्लूर्री निवासी हैदराबाद का 50 लाख रुपये का चालान शामिल है। इसके अलावा 62 लाख रुपये का चालान ट्रकों व डंपरों का आनलाइन काटा गया है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में पांच टीमें शामिल थीं। नैनी क्षेत्र में यमुना में मोहब्बतगंज में पट्टाधारक को नोटिस जारी किया गया है। बसवार में अवैध खनन के खिलाफ माफिया के खिलाफ घूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें तीन लोगों को नामजद कराया गया तथा दर्जनों अज्ञात लोग शामिल किए गए। वहीं कंजासा गांव में भी यमुना में अवैध खनन के मामले में माफिया को नामजद करते हुए घूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दोनों मुकदमे खनन निरीक्षक वैभव सोनी की ओर से कराए गए हैं। बताया कि जिन स्थानों पर अवैध बालू का खनन पकड़ा गया है, वहां पर नायब तहसीलदार से पैमाइश करा दी गई है।

पुलिसकर्मी बताकर छात्रा से 49 हजार की ठगी

प्रयागराज : सुल्तानपुर जनपद की रहने वाली श्रेया तैलियरगंज क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। आठ मार्च को दोपहर वह तेलियरगंज चौराहे स्थित एक बैंक के एटीएम से पांच सौ रुपये निकालने गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति एटीएम बूथ के अंदर पहुंचा और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड ले लिया। आरोप है कि धोखे से एटीएम कार्ड बदल दिया और फरार हो गया। कुछ देर बाद खाते से 49 हजार रुपये निकाल लिए गए। शिवकुटी पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

अध्यक्ष पद पर प्रो. रीतू चयनित

जासं, प्रयागराज : भारतीय इतिहास संकलन समिति काशी प्रांत प्रयागराज महानगर की बैठक शुक्रवार को अशोक नगर में हुई। भारतीय इतिहास संकलन समिति काशी प्रांत के प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रो. आनंद शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के उद्देश्य, कार्यों और इतिहास लेखन की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। बैठक में प्रयागराज के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें कार्यकारिणी का गठन करते हुए भारतीय इतिहास संकलन समिति प्रयागराज के सदस्यों को उनके दायित्वों से परिचित कराया गया।

प्रयागराज जनपद की समिति के लिए एसएस खन्ना की प्रो रीतू जायसवाल को अध्यक्ष, ईश्वर शरण डिग्री कालेज की डा. रागिनी राय, डा. मनोज कुमार दुबे उपाध्यक्ष, एडीसी के डा. हरेन्द्र नारायण सिंह महासचिव, ईश्वर शरण के डा. गौरव कुमार राय सचिव, आर्य कन्या की डा. सुधा कुमारी, एडीसी की शिखा पाठक सह सचिव बनी है।

लापता किशोरी फोन कर बोली जल्द लौटूंगी, फिर फोन बंद

प्रयागराज : धूमनगंज क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी संदिग्ध दशा में आठ अप्रैल की सुबह गायब हो गई। घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह करीब 5:15 बजे एक अज्ञात नंबर से किशोरी ने स्वजन को फोन किया। बोली वह इटारसी रेलवे स्टेशन पर है। ट्रेन मिलते ही वह वापस आ जाएगी। इसके बाद मोबाइल नंबर बंद हो गया।

परिवहन सिंडिकेट और पासर गैंग के आगे नतमस्तक तंत्र

'नंबर अदृश्य जिम्मेदार अनजान'

जासं, प्रयागराज : वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था जिले में मजाक बन गई है। परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय सिंडिकेट और पासर गैंग की शह पर खुलेआम ट्रक और डंपर इन नियमों को रौंद रहे हैं। इन्हें नियंत्रित करने वाली चाभी परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को सौंपी गई है। यह दोनों ही महकमे इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तंत्र की इसी छूट ने पासर गैंग का हौसला इतना बढ़ा दिया कि वह अब प्रशासन के कब्जे से ओवरलोड वाहन छुड़ाने की हिम्मत जुटाने लगे हैं। इतना ही नहीं हादसे के बाद यह पुलिस की पकड़ में नहीं आते। पुलिस ऐसे वाहनों का नंबर तक नहीं पता कर पाती। अलबत्ता कभी कभी दो चार वाहनों को पकड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है।

यातायात विभाग के अधिकारी ने पकड़ा उधर, कटे हुए थे नंबर ● सौजन्य : विभाग

अलीगढ़ फ्लाइओवर के पास ट्रक ●

शहर के नैनी, झूंसी, फाफामऊ, धूमनगंज से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक और डंपर गुजरते हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं, जिनमें नियमों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होती है। अन्यथा, ज्यादातर अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाते ही नहीं। जिनमें नंबर प्लेट लगी भी होती है तो नंबर अधूरे या धुंधले होते हैं। ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश है। फिर भी जिम्मेदार इन पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है।

नंबर प्लेट के मानकों की अनदेखी पर जितनी कार्रवाई छोटे वाहनों पर होती है, उतनी ट्रक और डंपरों पर होती ही नहीं। क्योंकि, इन पर पासर गैंग और परिवहन सिंडिकेट का हाथ जो है। दिन भर ट्रक और डंपर चालक राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों के ढाबों व पेट्रोल पंपों के किनारे वाहन खड़ा करके आराम फरमाते हैं।

> इस वक्त स्कूली वाहनों की जांच का अभियान चल रहा है। फिलहाल, यह शासन की प्राथमिकता में है। इसलिए इसी पर पूरा फोकस है। 15 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। इसके बाद ट्रक और डंपरों पर कार्रवाई होगी।
>
> **-संजीव गुप्ता,** आरटीओ (प्रवर्तन)
>
> हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मानकों को अनदेखा कर चलने वाले ट्रक और डंपरों पर कार्रवाई के अभियान की अभी कोई प्लानिंग नहीं बनी है।
>
> **-अमित कुमार,** यातायात निरीक्षक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
11-ए/4, नसीबपुर, बख्तियारा, अशोक नगर, प्रयागराज-211001
ई-मेल : sarali@bankofbaroda.co.in, मोबाईल- 9554956629

बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना
"परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) सपठित नियम 9 (1) के प्रावधान को देखें]
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा **जनसाधारण एवं ऋणी, बंधककर्ता, जमानतकर्ता तथा कानूनी वारिसों** को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जे में लिया गया है और बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जैसे है", "जो है जैसे है"** एवं **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता/कानूनी वारिसों /प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि/एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं / बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भारों के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय/आरंभ समय है समाप्ति समय	धरोहर धनराशि अग्रिम धनराशि बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण के लिए तिथि एवं समय
1.	**ऋणी:- (1) मेसर्स इलेक्ट्रोनिक्स एंड सोलर सिस्टम प्रोपराइटर श्रीमती जमीला खातून** पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद फ़ज़ल हुसैन निवासी- कार्यालय डी-604, गोल्डन हाइट अपार्टमेंट, चौफटका, प्रयागराज-211011 (उ0प्र0) एवं शरद 2, 202, मौसम विहार अपार्टमेंट, कालिंदीपुरम, राजरूपपुर, प्रयागराज-211011 और मकान संख्या 51, दोंदीपुर, प्रयागराज सिटी, प्रयागराज-211003 **जमानतकर्ता - श्री मोहम्मद शारिक हुसैन** पुत्र स्वर्गीय मो. फजल हुसैन, **सभी निवासी** - डी-604, गोल्डन हाइट अपार्टमेंट, चौफटका, प्रयागराज-211011 (उ0प्र0) एवं शरद 2, 202, मौसम विहार अपार्टमेंट, कालिंदीपुरम, राजरूपपुर, प्रयागराज-211011 और मकान नंबर 51, दोंदीपुर, प्रयागराज सिटी, प्रयागराज-211003	**दिनांक 06.04.2026 तक** मौजूदा संविदात्मक बकाया राशि ₹ 73,50,956.98 + ब्याज + अन्य खर्चे	**27.04.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक** / **27.04.2026 सांय 4.00 बजे तक**	₹ 1,01,25,000/- / ₹ 10,12,500/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	**दिनांक 26.04.2026 को समय प्रातः10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक**
2.	**ऋणी:- श्री नीरज कुमार यादव** पुत्र श्री रामा शंकर, निवासी मकान नंबर EWS फ्लैट संख्या 8, अग्निपथ आवास योजना, टी.बी.सहू रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001 **जमानतकर्ता- श्री विनोद कुमार चौहान**, निवासी नादर, निभापुर, जौनपुर-222204 और साथ ही निवासी 110/1A, धरारिया, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज-211002	तीसरी मंजिल फ्लैट का सभी भाग एवं भूखण्ड मकान नंबर 8/IA/11/1A, जोकि मोहल्ला बेली रोड, प्रयागराज में, श्री नीरज कुमार यादव पुत्र श्री रामा शंकर के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल 53.30 वर्ग मीटर, राडा जी का खुला प्लॉट, **पूरब-**आम रास्ता **पश्चिम:** किसी अन्य की संपत्ति।	दिनांक 06.04.2026 तक मौजूदा संविदात्मक बकाया राशि रु. 38,74,568.37 + ब्याज + अन्य खर्चे	**27.04.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक** / **27.04.2026 सांय 4.00 बजे तक**	₹ 28,01,000/- / ₹ 2,80,100/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	**दिनांक 26.04.2026 को समय प्रातः10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक**
3.	**ऋणी-मेसर्स पूनम देवी प्रोपराइटर श्रीमती पूनम देवी** पत्नी श्री श्रवण कुमार उर्फ प्रबल कुमार **पंजीकृत पता** ग्राम एवं पोस्ट बरौंत, तहसील हंडिया, प्रयागराज-221503	साधारण बंधक फ्लॉट संख्या 533 के शेष भाग पर निर्मित भवन जोकि श्री प्रबल कुमार उर्फ श्री श्रवण कुमार के स्वामित्व में है और श्रीमती पूनम देवी को पट्टे पर दिया गया है: तथा यह सम्पत्ति मौजा बरौंत, परगना देवाई, तहसील हंडिया, प्रयागराज -221503 में स्थित है। क्षेत्रफल 0.0110 हेक्टेयर **सेल डीड के अनुसार चौहदी - पूरब-** ओम प्रकाश का मकान **पश्चिम:** कृष्ण प्रसाद का मकान **उत्तर:** रास्ता और कल्लू का मकान **दक्षिण:** प्रबल उर्फ श्रवण कुमार की भूमि	दिनांक 06.04.2026 तक मौजूदा संविदात्मक बकाया राशि रु. 27,96,593.07 + ब्याज + अन्य खर्चे	**27.04.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक** / **27.04.2026 सांय 4.00 बजे तक**	₹ 11,52,000/- / ₹ 1,15,200/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	**दिनांक 26.04.2026 को समय प्रातः10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक**
4.	**ऋणी:-श्री तुलसीदास द्विवेदी जमानतकर्ता- श्रीमती निशा देवी** पत्नी श्री तुलसीदास द्विवेदी, दोनों निवासी मकान संख्या 119, नैनी मनैया, तहसील करछना, जिला प्रयागराज-212301	सम्पत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड मकान संख्या 119/आराजी संख्या 283/मौजा मनैया, परगना- अरैल, तहसील करछना, जिला - प्रयागराज में श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री तुलसीदास द्विवेदी के नाम से स्थित है जिसका क्षेत्रफल 380.60 वर्ग मीटर है, **चौहदी- उत्तर:** लगभग 10 फीट चौड़ी क्रिक सोलिंग सड़क **दक्षिण:** आराजी संख्या 283 का भाग, **पूरब-**आराजी संख्या 283 का भाग **पश्चिम:** लगभग 15 फीट चौड़ी मनैया लिंक रोड,	दिनांक 06.04.2026 तक मौजूदा संविदात्मक बकाया राशि रु. 24,01,385.55 + ब्याज + अन्य खर्चे	**27.04.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक** / **27.04.2026 सांय 4.00 बजे तक**	₹ 33,93,000/- / ₹ 3,39,300/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	**दिनांक 26.04.2026 को समय प्रातः10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com देखें। इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- 9839335551 से सम्पर्क करें।

दिनांक- 06.04.2026 **स्थान- प्रयागराज** **प्राधिकृत अधिकारी, आर.ओ. सार्वा प्रयागराज, बैंक ऑफ बड़ौदा**

कई विधान सभा सीटों पर जीत-हार के अंतर से ज्यादा कम हो गए मतदाता

महिला मतदाताओं की भारी संख्या में कमी ने बढ़ाई चिंता

एसआइआर अभियान

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव में बिजनौर जिले की धामपुर सीट पर जीत-हार का अंतर महज 203 मतों का था और वहां एसआइआर के बाद 29,821 मतदाता कम हो गए हैं। इसी प्रकार बाराबंकी जिले की कुर्सी विधान सभा सीट में जीत-हार का अंतर मात्र 217 वोटों का था, वहां भी अब 34,925 मतदाता कम हो गए हैं। सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट पर 315 मतों से जीत-हार हुई थी जबकि वहां 28,055 मतदाता घटे हैं। ये आंकड़े सिर्फ तीन सीटों तक सीमित नहीं हैं। प्रदेश में ऐसी 49 सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में पांच हजार से कम वोटों के अंतर से जीत-हार हुई थी। इन सीटों पर जीत-हार के अंतर से ज्यादा मतदाता घट गए हैं।

एसआइआर के तहत प्रदेश में 2.04 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। इनमें 1.11 करोड़ महिलाएं व 93 लाख पुरुष हैं। महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या में कमी भी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बन गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात 912 था जबकि एसआइआर के बाद मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर 834 महिलाएं ही रह गई हैं। यूं तो प्रदेश की सभी 403 विधान सभा सीटों पर मतदाता कम हुए हैं, किंतु शहरी क्षेत्र की सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं। राजनीतिक दल भी इस बदलाव को लेकर सतर्क हैं। बहरहाल, एसआइआर के बाद जो परिस्थितियां हैं उससे स्पष्ट है कि 2027 का चुनाव पूरी तरह नए समीकरणों व माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लड़ा जाएगा।

दस प्रतिशत से अधिक बढ़ सकता है मतदान प्रतिशत : एसआइआर के बाद शुद्ध हुई प्रदेश की मतदाता सूची के बाद अब इसका असर आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में 13.24 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं। ये वे मतदाता थे जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट श्रेणी के थे। आगामी चुनाव में 10 प्रतिशत से अधिक मतदान बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में सबसे अधिक 61.24 प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि 2022 के विधान सभा चुनाव में 61.03 प्रतिशत मतदान हुआ था।

गुजरात के बाद सबसे अधिक यूपी में कम हुए मतदाता

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे अधिक मतदाता कम हुए हैं। गुजरात में एसआइआर के बाद 13.40 प्रतिशत मतदाता कम हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में 13.24 प्रतिशत मतदाता घटे हैं। छत्तीसगढ़ में 11.77 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 11.61 प्रतिशत, तमिलनाडु में 11.55 प्रतिशत, गोवा में 10.76 प्रतिशत, पुडुचेरी में 7.57 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 5.97 प्रतिशत, बिहार में 5.95 प्रतिशत, राजस्थान में 5.74 प्रतिशत व केरल में 3.22 प्रतिशत वोट कम हुए हैं।

आंकड़ों की जुबानी

कुल मतदाता-7,13,94,792

पुरुष मतदाता-7,30,71,061 (54.54 प्रतिशत)

महिला मतदाता-6,09,09,525 (45.46 प्रतिशत)

थर्ड जेंडर-4206

18-19 वर्ष की आयु के मतदाता-17,63,360 (01.32 प्रतिशत)

लिंगानुपात-834

किस क्रम में फिसले थे मतदाता

वर्ष 2024 लोक सभा-15,44,03,112

वर्ष 2022 विधान सभा-15,12,46,168

वर्ष 2019 लोक सभा-14,61,34,603

वर्ष 2017 विधान सभा-14,16,63,646

वर्ष 2014 लोक सभा-13,88,10,557

वर्ष 2012 विधान सभा-12,74,92,836

कहीं दो जगह एक ही मतदाता का नाम तो कहीं बांग्ला भाषा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में गलतियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर साक्ष्य सहित त्रुटियों की जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, राधेश्याम सिंह व डा. हरिश्चंद्र सिंह की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मतदाता सूची में जोड़े व संशोधित किए गए एक-एक नाम का घर-घर सत्यापन आवश्यक है। अंतिम मतदाता सूची में इलाहाबाद दक्षिण विधान सभा के पोलिंग बूथ 389 के मतदाता क्रमांक 802 पर मतदाता शालिनी पांडेय के पिता का नाम बांग्ला भाषा में प्रिंट है। इसी बूथ के मतदाता क्रमांक 337 पर मतदाता मंजू पटेल की फोटो उल्टा प्रिंट है।

भाजपा के इशारे पर काम कर रहा आयोग : अखिलेश यादव

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा जब मुद्दों से हारती है तब संस्थाओं के पीछे छिपकर हमले करती है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वह डीडी, सीबीआइ, इनकम टैक्स के नाम पर बेनकाब हो चुकी है। भाजपा ने वोट कटवाने की साजिश की। सपा का वोट कटवाने के लिए फर्जी हस्तक्षेप से बड़े पैमाने पर फार्म-7 भरे गए। सपा ने इसकी शिकायत की लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए, उनमें चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर काम किया।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम

"महिला कल्याण भवन 8, सिविल लाइंस, ग्रेड सेंटर, बाला बाजार, प्रयागराज-211002
फोन : 0532-2440209, ईमेल : mahila.kalyan@yahoo.com

महिला छात्रावास, डी.ए.56 'ए' सेक्टर-62 नोएडा को पीपीपीमोड पर संचालन एवं प्रबन्धन हेतु अभिरुचि का आमंत्रित किया (ई०ओ०आई०) का प्रकाशन

मेसर्स जोकास बौद्धिक विकास प्राइवेट लि० (नोएडा) के द्वारा निर्मित महिला छात्रावास विकसी बायपास कस्बा 500 बेडस्टाइलिंग है, का संचालन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ द्वारा पीपीपीमोड पर किया जाना है। इस छात्रावास हेतु सुरक्षा, शुल्क संग्रहण, कक्ष सफाई एवं मेस के साथ ही आवश्यक अंडरवर्ड्स हेतु मेस का संचालन तथा कन्जम्पशन हेतु कच्चा सामग्रण मूलभूत सुविधाएँ भी सुनिश्चित करायी जानी हैं। अतः आर्थिक रूप से सुदृढ़ ऐसी फर्मों/कंपनियों/बौद्धिक संगठनों/ट्रस्ट/ज्वाइंट वेन्चर को जोकास, से आमंत्रित प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक फर्म/कम्पनी/ट्रस्ट/बौद्धिक संस्था/ज्वाइंट वेन्चर द्वारा आवेदन पत्र तथा पीपीपीमोड की धनराशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (नाम निदेशक/मुख्य को०अ० महिला कल्याण निगम लि०, प्रयागराज के पक्ष में देय होगा, जमा कर निगम कार्यालय के उपरोक्त पते से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 11.05.2026 की शाम 6:00 बजे तक होगी। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त क्रम में निगम को प्राप्त किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(डॉ० नन्दूला वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा — बिक्री सूचना

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा 11-ए/4, नसीबपुर, बख्तियारा, अशोक नगर, प्रयागराज-211001 ई-मेल : sarall@bankofbaroda.co.in मोबा0 9554956629

परिशिष्ट- II-A
(नियम 6(2) के परंतुक देखें)
चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से ऋणियों और जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चल संपत्ति / संपत्तियों को सुरक्षित लेनदार के पास गृष्टिबंधक रखा गया है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे नीचे बताए गए खाते/खातों की वसूली के लिए **'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है', और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी/जमानतकर्ता/गारंटी/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

नीलामी की तारीख और समय: 27.04.2026, दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक | ईएमडी की अंतिम तिथि और समय: 27.04.2026, शाम 04:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदारों का नाम और पता	वाहनों का विवरण	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बिड वृद्धि राशि
1.	**ऋणी:- श्री सैयद मोहम्मद शारिक** पुत्र श्री सैयद इफ्तिखार अहमद निवासी मकान नंबर 156, मुहर रोड, राजापुर, प्रयागराज-211002	**Maker-** Tata Motors Ltd. **Model-** Tata LPT 4930 BSVI 12X2 **Vehicle Registration No. -** UP70NT7811 **Engine No. -** B6.7B62300D02142E64385898 **Chassis No. -** MAT570017R1E13715	**Rs. 34,20,000/- (RP)** / **Rs. 3,42,000/- (EMD)** / **Rs. 10,000/-** बिड वृद्धि राशि
	कुल बकाया:- दिनांक 06.04.2026 तक मौजूदा संविदात्मक बकाया राशि ₹ 45,75,595.28 (पैंतालिस लाख पचहत्तर हज़ार पांच सौ पनचानवे रुपये और अट्ठाईस पैसे मात्र) + ब्याज + अन्य खर्च		

सेल की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा (सिक्योर्ड क्रेडिटर) की वेबसाइट यानी www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक : 06.04.2026 स्थान : प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, आर.ओ. सार्ब, प्रयागराज

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित)

नियुक्ति संबंधी सूचना

क्रमांक: AUD/(55)-1(68)/Rect./2026/681 दिनांक: 30.03.2026

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत की गई है। यह उन चंद विश्वविद्यालयों में एक है जिसका प्रमुख लक्ष्य मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। यह विश्वविद्यालय परिवर्तनशील समाज की कल्पनाओं तथा स्थितियों को समझने में इन विषयों की केंद्रीय भूमिका को स्वीकारता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य अन्वेषणकारी पाठ्यक्रम व शिक्षण-पद्धति का प्रयोग कर समाज विज्ञान की नई अवधारणाओं को संभव बनाना है।

विश्वविद्यालय निम्नलिखित पदों के लिए संभावित और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा	भर्ती का तरीका
1.	परीक्षा नियंत्रक	लेवल -14	01 (अनारक्षित)	57 वर्ष से अधिक नहीं	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
2.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल -10	02 (अनारक्षित)	35 वर्ष से अधिक नहीं	सीधी भर्ती
3.	आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	लेवल -12	01	56 वर्ष से अधिक नहीं	प्रतिनियुक्ति
4.	सहायक कुलसचिव	लेवल -10	03	56 वर्ष से अधिक नहीं	प्रतिनियुक्ति

नोट: योग्यता, पात्रता मापदंड, सामान्य निर्देश, आवेदन पत्र एवं अन्य विवरण के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://aud.delhi.gov.in/ पर जाएँ।
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की तिथि : 01.04.2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : "रोजगार समाचार" में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिन बाद तक।
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और सभी संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि : "रोजगार समाचार" में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 28 दिन बाद तक।

DIP/SHABDARTH/CLASSIFIED/0012/26-27 कुलसचिव

उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद प्रयागराज

पत्रांक 320/पं०रा०वित्त/पन्द्रहवा वित्त/निविदा/2026-27 दिनांक 09-04-2026

अल्पकालिन निविदा सूचना

क्षेत्र पचांयत सैदाबाद प्रयागराज द्वारा पंचम राज्य वित्त/क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त (पन्द्रहवा वित्त) की निधि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की क्षेत्र पंचायत सैदाबाद द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित निम्नलिखित कार्यो/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अल्पकालिक निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 02.05.2026 को पूर्वान्ह 1100 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसे विकास खण्ड कार्यालय में रखी सीलबन्द पेटिका में डाली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 15.04.2026 से 30.04.2026 तक की अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय लेखाकार के पटल से निर्धारित शुल्क एवं राजकीय विभाग का पंजियन पत्र की छायाप्रति जमाकर प्राप्त की जायेगी। निविदा दिनांक 02.05.2026 को नामित समिति द्वारा अपरान्ह 01 बजे अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में खोली जायेगी।
कार्य का विवरण निम्नवतः-

क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त (पन्द्रहवा वित्त) योजना

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कार्य की माप (मीटर)	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म की धनराशि	धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत	जमानत धनराशि 08 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम पंचायत मलेथुआ मजरा सन्दलपुर में रामलीला मैदान से राधेश्याम पटेल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	180 मीटर	754000	725	15080	60320	03 माह
2	ग्राम पंचायत भवानीपुर में भोलानाथ बिन्द के घर से बब्बु बिन्द के मशीन से होते हुए मुस्लिम बस्ती तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
3	ग्राम पंचायत पटटीराम में काली सड़क से दुर्गा प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	120 मीटर	505000	725	10100	40400	03 माह
4	ग्राम पंचायत मुंगरसन में कमलेश यादव के घर से रामराज (बच्चा) के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	100 मीटर	421000	725	8420	33680	03 माह
5	ग्राम पंचायत बडगांव मजरा नरहरपुर में दिलीप भारतीया के घर से तालाब तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	100 मीटर	837000	725	16740	66960	03 माह
6	ग्राम पंचायत महरूपुर में पंचायत भवन से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
7	ग्राम पंचायत पौडन प्राथमिक विद्यालय से भारतीया बस्ती तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
8	ग्राम पंचायत बढौली मजरा बद्दू का पुरा लवकुश मिश्रा के घर से गुप्ता बस्ती तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
9	ग्राम पंचायत आसेपुर में मुरलीधर कुशवाहा के घर से अमृत लाल मौर्या के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
10	ग्राम पंचायत पहाडपुर में शहीद स्मारक स्थल का बाउण्ड्रीवाल व सौन्दीयकरण	1 नग	990000	725	19800	79200	03 माह
11	ग्राम पंचायत चकसिकन्दर में प्राथमिक विद्यालय का बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण एवं काली सड़क तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	150 मीटर	990000	725	19800	79200	03 माह
12	ग्राम पंचायत नवली मजरा धितावनपुर में ओपन जिम खेल कूद मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	1 नग	990000	725	19800	79200	03 माह
13	ग्राम पंचायत नवली मजरा सिधौरा में चौरा माता का चबूतरा एवं सौन्दीयकरण	1 नग	300000	725	6000	24000	03 माह
14	ग्राम पंचायत प्यारेपुर में मोर्इन के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य	120 मीटर	303000	725	6060	24240	03 माह
15	ग्राम पंचायत मोतिहां मजरा बिराहिमपुर मुरली पटेल के घर से राधेश्याम पटेल के घर तक नाली निर्माण कार्य	200 मीटर	488000	725	9760	39040	03 माह
16	ग्राम पंचायत मकसुदना में अशोक कुमार के कुँआ से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	100 मीटर	263000	725	5260	21040	03 माह

पंचम राज्य वित्त आयोग

1	ग्राम पंचायत हैबतपुर मजरा अजिहरा में पक्की सड़क से रमाकान्त पटेल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	200 मीटर	837000	725	16740	66960	03 माह
2	ग्राम पंचायत ज्वालापुर में काली सडक से राजितराम पटेल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	150 मीटर	629000	725	12580	50320	03 माह
3	ग्राम पंचायत आरा अलगू पटेल इण्टर कालेज से होते हुए राजेन्द्र बी0डी0सी0 के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	170 मीटर	712000	725	14240	56960	03 माह
4	ग्राम पंचायत ढोली नेशनल हाइवे से अशोक भोजवाल के बाग तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
5	ग्राम पंचायत बरेठी मजरा गोसाई चकिया में काली सडक से रमाशंकर हरिजन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	72 मीटर	305000	725	6100	24400	03 माह
6	ग्राम पंचायत सराय इस्माइल में कामता प्रसाद के घर से शोभनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	200 मीटर	837000	725	16740	66960	03 माह
7	ग्राम पंचायत बसगित दरिया पटटी के आजाद के घर से काली सड़क तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
8	ग्राम पंचायत समोधीपुर मजरा बेलवरिया में सुभाष पटेल के घर से संजय पटेल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	65 मीटर	276000	725	5520	22080	03 माह
9	ग्राम पंचायत सुजौला मजरा देवउनीपुर में पक्की सडक से भोला के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	170 मीटर	712000	725	14240	56960	03 माह
10	ग्राम पंचायत थुलमा धनकेसरा में सुखराम विश्वकर्मा के घर से पाल बस्ती तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	210 मीटर	878000	725	17560	70240	03 माह
11	ग्राम पंचायत रसूलपुर में काली सडक से अवधेश तिवारी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	220 मीटर	920000	725	18400	73600	03 माह
12	ग्राम पंचायत इनायत पटटी में शंकर यादव के घर से काली सडक तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	85 मीटर	359000	725	7180	28720	03 माह
13	ग्राम पंचायत पुरूषोत्तमपुर में मस्जिद से जुम्मन खान के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	160 मीटर	677000	725	13540	54160	03 माह
14	ग्राम पंचायत फतूहा नर्सरी स्कूल से सैयद जमीद हुसैन के दरवाजे तक इण्टर लॉकिंग कार्य	60 मीटर	255000	725	5100	20400	03 माह
15	ग्राम पंचायत बरेठी मजरा टिकरी नयापुरा पाल बस्ती में काली रोड से काली रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	100 मीटर	421000	725	8420	33680	03 माह
16	ग्राम पंचायत बजहाँ मिश्रान मजरा चौरा बडेरा काली सड़क मुन्ना त्रिपाठी के घर से ओम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	60 मीटर	255000	725	5100	20400	03 माह

निविदा की शर्ते :-

1 निविदादाता/फर्म/ठेकेदार/की आर्थिक स्थिति सुदृढ होनी चाहिए। राजकीय विभागों एवं किसी अन्य संस्थानों में आपूर्तिकर्ता/फर्म/ठेकेदारी काली सूची में अंकित न हों निविदा दाता खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा कार्यालय स्टाफ का निकट सम्बन्धी (रक्त का सम्बन्ध) न हो का 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
2 प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक निविदा डाली जायेगी।
3 प्रत्येक निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि आगणन दर पर सरकारी प्रतिभूतियों, एफ0डी0आर0 जो खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद के नाम बंन्धक होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा, एवं 08 प्रतिशत जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद प्रयागराज के नाम से बंधक होगी, को स्वीकार किया जायेगा एवं जिसे निर्माण कार्य समाप्ति के पश्चात नियमानुसार वापस की जायेगी।
4 निविदादाता को निविदा फार्म लेते समय नियमानुसार नवीनतम वैद्य पंजियन प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी, महोदय के द्वारा निर्गत किया गया हो एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5 समस्त निर्माण कार्यो का भुगतान तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात नियमानुसार ही किया जायेगा।
6 उक्त निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
7 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी सैदाबाद प्रयागराज में निहित होगा।
8 निविदा फार्म/प्रपत्र निर्धारित तिथि में लेखाकार से निर्धारित निविदा शुल्क जमाकर कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म प्राप्त करने का समय प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक ही होगा।
9 निविदा अवधि व्यतीत होने के उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
10 कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।
11 कार्य के पश्चात् भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस की कटौती उपलब्ध धनराशि एवं शासन के द्वारा बजट प्राप्त होने के उपरान्त किया जाएगा।
12 फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय रायल्टी के सम्बन्ध में ई0एम0एम0-11 प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
13 निविदा निरस्त होने की दशा में निविदा प्रपत्र मूल्य की वापसी नहीं की जायेगी, 02 प्रतिशत जमा धरोहर धनराशि की वापसी कर दी जाएगी।
14 ठेकेदार/फर्मो के द्वारा (टी-6) निर्धारित प्रारूप पर एवं फोटोयुक्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15 साझेदारी फर्म की दशा में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड संलग्न करना होगा।
16 अपराधि छवि के व्यक्ति न होने का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडेगा।
17 आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
18 जी0एस0टी0 का 31 मार्च, 2026 तक जमा होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
19 सरकारी विभाग में कराये गये निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
सैदाबाद, प्रयागराज

खण्ड विकास अधिकारी
सैदाबाद प्रयागराज